

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: ०९ मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्थानीय नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 08 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ० प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	मथुरा	न.पं. राया	74/252आ.न.यो./9-8-14-12आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 04.03.2014	12.50	31.03.2016
2	मथुरा	न.पं. छप्ता	मूल शासनादेश संख्या-170/2015/407आ.न.यो./9-8-2015-08आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 19.3.2015 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश संख्या-201/2015/1314आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो(बजट)/2014 दिनांक 30.06.2015	27.00	31.03.2016
3	गोण्डा	न.पा.प. नयाबगंज	मूल शासनादेश संख्या-442/2741आ.न.यो./9-8-2014-42आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 13.12.2015 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश संख्या-186/2015/972आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो(बजट)/2014 दिनांक 21.05.2015	100.00	31.03.2016
4	गोण्डा	न.पं. कटरा	170/2015/407आ.न.यो./9-8-2015-08आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 19.3.2015	10.00	31.03.2016
5	फैजाबाद	न.पा.प. अयोध्या	57/57आ.न.यो./9-8-2014-03आ.न.यो./2014 दिनांक 18.02.2014	12.50	31.03.2016
6	सहारनपुर	न.पा.प. नकुड	158/2015/110आ.न.यो./9-8-15-04आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 13.02.2015	98.62	31.03.2016
			मूल शासनादेश संख्या-158/2015/110आ.न.यो./9-8-15-04आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 13.02.2015 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश संख्या-180/2015/396 आ.न.यो./9-8-14-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 05.05.2015	98.62	31.03.2016

7	उन्नाव	न.पं. पुरवा	300/2369आ.न.यो./9-8-14-31आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014	524.74	31.03.2016
			मूल शासनादेश संख्या-300/2369आ.न.यो./9-8-14-31आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014 के क्रम में द्वितीय किशत का शासनादेश संख्या-181/2015/765 आ.न. यो. /9-8-2014-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 05.05.2015	524.74	31.03.2016
8	लखनऊ	न.पं. महोना	149/2015/233आ.न.यो./9-8-15-01आ.न.यो.(बजट) /2015 दिनांक 04.02.2015	94.60	31.03.2016
			मूल शासनादेश संख्या-149/2015/233आ.न.यो./9-8-15-01आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 04.02.2015 के क्रम में द्वितीय किशत का शासनादेश संख्या-187/2015 /943आ.न.यो./9-8-2015-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 21.05.2014	94.60	31.03.2016

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 10/2016/290(1)आ.न.यो./9-8-16 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी।